कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ0ग0)

Email- bemetara.court@nic.in, Phone No. 07824-222210

वि ज्ञा प न

क्र. 322 / दो–11–1 / 2022 बेमेतरा, दिनांक 28/3/2022

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2022, संध्या 5:00 बजे तक।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा की स्थापना में निम्नानुसार शीघ्रलेखक (हिन्दी) / शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) / सहायक ग्रेड–3 (निष्पादन लिपिक, सेल अमीन, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर, साक्ष्य लेखक, सहायक सांख्यिकीय लिपिक, प्रतिलिपिकार) / भृत्य / फर्राश / दफ्तरी कम फर्राश के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य वर्ग			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							तृतीय श्रेणी पद											
1.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	04	–	–	–	–	01	–	–	–	01	–	–	–	02	–	–	–
2.	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	01	–	–
3.	सहायक ग्रेड–3	19	01	–	–	–	02	01	–	–	02	01	–	–	06	04	01	01
							चतुर्थ श्रेणी पद											
1.	भृत्य / फर्राश / दफ्तरी कम फर्राश	05	–	–	–	–	01	–	–	–	01	–	–	–	03	–	–	–

नोट –पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
संकेतक – भू.पू.सै.– भूतपूर्व सैनिक

(1) जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिको के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाते है, तो अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जायेगा।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–

(1) शीघ्रलेखक (हिन्दी) एवं (अंग्रेजी) पद के लिए–

अ– वेतनमान–

छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स 28700–91300 (लेवल–7)

ब– **शैक्षणिक योग्यता**–कम से कम निम्नानुसार होना अनिवार्य है–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी (शीघ्रलेखक) हेतु **हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन** तथा अंग्रेजी (शीघ्रलेखक) हेतु **अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन** उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
3. कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि–
   1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
   2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालाजी/माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)।
   3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालाजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एकवर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।
   4. DOEACC सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

(2) सहायक ग्रेड–3 (निष्पादन लिपिक, सेल अमीन, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर, साक्ष्य लेखक, सहायक सांख्यिकीय लिपिक, प्रतिलिपिकार) पद के लिए–

अ– वेतनमान–

छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स 19500–62000 (लेवल–4)

ब– **शैक्षणिक योग्यता**–कम से कम निम्नानुसार होना अनिवार्य है–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से **हिन्दी मुद्रलेखन** परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
3. कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि–

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालाजी/माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से न्यून)।
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालाजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

(3) चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/फर्राश/दफ्तरी कम फर्राश) पद के लिए–

अ– वेतनमान–

छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स 15600–49400 (लेवल–1)

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

–: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो। (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(अ)– कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब)– कोई उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति/पत्नी जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

(2) दिनांक **01.01.2022** को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्र.–एफ 3–2/2015/1–3, नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्षों में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(4) विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूटः–

निम्नलिखित श्रेणी के छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी–

3 (एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

3 (एक) (2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ–7–25–93/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

3 (एक) (3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कान्टिंजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक) (4) ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

<u>स्पष्टीकरण</u> –छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

3 (एक) (5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

3 (एक) (6) महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3 (एक) (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक) (8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 (एक) (9) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3 (दो) (1) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक–सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (दो) (2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक–सी 3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप – (1) बिन्दु कमांक (एक) में अधिक लाभकारी एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदु कमांक (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण – यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट – इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश भी लागू रहेगा।

–: आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारुप अनुसार ए–4 साईज पेपर में तथा प्रवेश पत्र में अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर आवेदन के साथ संलग्न किया जावेगा। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 30.04.2022 के प्रातः 11:00 बजे से लेकर संध्या 5.00** बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से (1) आवेदित पद का नाम एवं (2) आवेदक का वर्ग लिखा हो, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा (छ0ग0) पिन–491335 के कार्यालय में रखे गये ड्राप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत किया जावेगा। प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले आवेदन सूची अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ जिला एवं सत्र न्यायालय, बेमेतरा के वेबसाईट http://districts.ecourts.gov.in/bemetara में अपलोड की जावेगी

1– दिनांक **30.04.2022** को संध्या **5.00** बजे के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। डाक, ई–मेल या अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे। विज्ञापन, आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा के वेबसाईट **http://districts.ecourts.gov.in/bemetara** से डाउनलोड की जा सकती है।

2– जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

3– ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत् हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

4– आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा।

5– आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति अनर्ह होगी।

6– आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

7– अभ्यर्थी किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो तथा किसी न्यायालय में अपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा किसी आपराधिक प्रकरण में दंडित ना किया गया हो।

8– आवेदन पत्र में आवेदक एक पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा करेगा और 2 अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा, स्वयं का पूर्ण नाम एवं स्पष्ट पता लिखे हुए दो लिफाफा प्रत्येक पर रू. 5/– की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करेगा, साथ ही पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस/पेनकार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे व **मोबाईल नं. एवं ई–मेल आईडी** भी उल्लेख करेगा।

9– आवेदक के द्वारा शीघ्रलेखक (हिन्दी)/शीघ्रलेखक(अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–3 एवं भृत्य/फर्राश/दफ्तरी कम फर्राश के लिये पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

10– विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

11– ई–मेल, फैक्स, कोरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

12– बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

13– प्राप्त आवेदन पत्रों के छंटनी के पश्चात पात्र व अपात्र सूची जारी की जावेगी। जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा के वेबसाईट **http://districts.ecourts.gov.in/bemetara** में अपलोड की जावेगी।

14— आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी एवं दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या गलत पाये जानें पर आवेदक की उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा।

15— प्रथम एवं द्वितीय चरण परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित स्थान व समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया

(प्रथम चरण)

शीघ्रलेखक (हिन्दी / अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–3 के पदों के लिये पात्र उम्मीदवारों का 25 प्रश्नों का लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान) लिया जायेगा। जो कि 50 अंको का होगा। उक्त लिखित परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम में प्राप्त अंको के वरीयता के आधार पर प्रत्येक पद के 15 गुना उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा।

(द्वितीय चरण)

शीघ्रलेखक (हिन्दी), शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) व सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु 100 अंको की प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा ली जावेगी, जो निम्नानुसार होगी–

शीघ्रलेखक (हिन्दी) के पद हेतु– शीघ्रलेखक (हिन्दी) के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, इसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, तत्पश्चात उसका स्व–हस्ताक्षरित प्रिंट निकालकर परीक्षक को जमा करना होगा।

शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के पद हेतु– शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जायेगा, इसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, तत्पश्चात उसका स्व–हस्ताक्षरित प्रिंट निकालकर परीक्षक को जमा करना होगा।

सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु–इस पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, तत्पश्चात उसका स्व–हस्ताक्षरित प्रिंट निकालकर परीक्षक को जमा करना होगा।

नोट– 1. कौशल परीक्षा हेतु उत्तर–पुस्तिका की जांच छ.ग. शासन, रायपुर के टंकण, आशुलिपि एवं सेकेटोरियल प्रेक्टिस में कापी जांचने के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये किया जावेगा।

भृत्य/फर्राश/दफ्तरी कम फर्राश के पद हेतु–कौशल एवं शारीरिक दक्षता।

भृत्य/फर्राश/दफ्तरी कम फर्राश के कौशल एवं शारीरिक दक्षता हेतु आहुत उम्मीदवारों का उपयुक्तता, शारीरिक क्षमता, व्यवहारिकता और व्यक्तित्व तथा कार्य हेतु उनकी अभिरूचि तथा पूर्ण अनुभव को देखते हुये अंक दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंको के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।

चयन एवं प्रतीक्षा सूची

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वर्गवार पद संख्या का दो गुना का मेरिट सूची तैयार किया जायेगा, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची के अलावा शेष प्रतीक्षा सूची होगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 01 वर्ष तक प्रभावशील होगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएं

1– छ0ग0 शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के वित्त निर्देश 21/2020 का ज्ञापन कमांक–372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर दिनांक 29.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। परीक्षा अवधि में उन्हें निम्नानुसार स्टायपेंड देय होगा–

प्रथम वर्ष– पद के वेतनमान न्यूनतम का 70%

द्वितीय वर्ष– पद के वेतनमान न्यूनतम का 80%

तृतीय वर्ष– पद के वेतनमान न्यूनतम का 90%

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते नियमानुसार शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकेगी या सेवा समाप्त की जा सकेगी।

2– अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी भी चरण में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

3– चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

4– परीक्षा में सम्मिलित होने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा की आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

5— महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उसी संवर्ग के पुरूष उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा।

6— चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7— चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराए जाने पर यदि कोई विपरीत टिप्पणी पायी जाती है तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

8— यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

9— रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

10— उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में उनके जन्मतिथि के आधार पर वरीयता प्रदान किया जायेगा। यदि जन्मतिथि एवं अंक समान प्राप्त हो तो छ.ग. शासन के नियमो के अनुरूप प्राथमिकता दिया जायेगा।

11— चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा को होगा।

12— चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

महत्वपूर्ण

यह सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले, और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन—पत्र स्वतः लेकर आवें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जावेगी।

टीप— (1) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिये आरक्षित है।

(2) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक—एफ—9—1 /2008/एक—3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03.02.2022 के अनुसार यदि शैक्षणिक अर्हता अथवा कौशल परीक्षा इन दोनों की अर्हताओं में से कोई परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन की सूचना जिला स्थापना के कार्यालयीन वेबसाईट http://districts.ecourts.gov.in/bemetara में दी जायेगी, और चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर (स्टेज) में ऐसे परिवर्तन के अनुरूप भी अर्हता मान्य किया जायेगा। अतः प्रत्येक

श्रेणी के उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात से सतत उक्त वेबसाईट का अवलोकन कर अपनी अर्हता संबंधी मापदण्ड निर्धारित करेंगे और ऐसे परिवर्तित अर्हता ही अंतिम एवं मान्य होगा।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

अन्य विशेष सूचनाएँ

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल नं. एवं डाक टिकट लगा लिफाफे के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा जिला न्यायालय के वेबसाईट **http://districts.ecourts.gov.in/bemetara** पर भी परिणाम उपलब्ध रहेंगे।

26.03.2022

अध्यक्ष,
चयन समिति/
प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बेमेतरा (छ.ग.)

अनुमोदित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बेमेतरा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(शीघ्रलेखक (हिन्दी), शीघ्रलेखक (अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–तीन, भृत्य/फर्राश/दफ्तरी कम फर्राश के पद पर नियुक्ति हेतु)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो नाम व दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेमेतरा (छत्तीसगढ़)

01 आवेदित पद का नाम : ....

02 आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : ....

03 लिंग–पुरूष, संकेतांक–1. महिला संकेतांक–2 [ ]

04 पिता/पति का नाम : ....

05 (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) : ....

....

....

....

(ब) स्थायी पता : ....

....

....

06 (अ) जन्म तिथि अंकों में [ ]

शब्दों में : ....

(ब) दिनांक 01–01–2022 को आयु वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]

07 क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं [ ]

08 क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हैं? हां/नहीं [ ]
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

09 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें । [ ]

10 क्या आवेदक विकलांग है ? हां/ नहीं [ ]
(यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11 विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत

12 क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

13 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक ______ दिनांक ______

14 रोजगार कार्यालय का नाम ______

15 क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं

16 यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

17 जीवित बच्चों की संख्या

क्रमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1	2	3	4

18 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

19 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हां/नहीं
<u>(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)</u>

20 संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची –

1 .... 2. ....
3 .... 4. ....
5 .... 6. ....
7 .... 8. ....
9 .... 10....................................

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर–

नाम एवं पूरा पता–

....

....

....

मोबाईल नं.– ....

ई–मेल–..............................

(मोबाईल नं. एवं ई–मेल अनिवार्य रूप से भरे)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ0ग0)

Email- bemetara.court@nic.in, Phone No. 07824-222210

—:: प्रवेश पत्र ::—

परीक्षा का नाम :— लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / शारीरिक दक्षता परीक्षा

आवेदित पद का नाम :—

अभ्यर्थी का नाम :—

पिता / पति का नाम :—

वर्ग :—
(अनारक्षित / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पि.व.)

अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो बिना अभिप्रमाणित कराये चस्पा करे।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक —
परीक्षा केन्द्र का नाम —

परीक्षा का दिनांक —
परीक्षा का समय —

अध्यक्ष / चयन समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय,
बेमेतरा (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र एवं वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले बालपेन का ही उपयोग करें।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केलकुलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चस्पा करना अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।